अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

कमल कंवर आदि बनाम **मोहनराम आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 145/2016 **निर्णय दिनांक– 19.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 135 रकबा 1.58 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 254) वाके ग्राम हमीरपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. सुप्यार कंवर पत्नी रेवन्तसिंह प्रमोद कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.41 हैक्टेयर	बा.3	2.05
2. कैलाश कंवर पत्नी गोमसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.27 हैक्टेयर	बा.3	1.35
3. कमल कंवर पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.18 हैक्टेयर	बा.1	1.26
4. हनुमानसिंह कुशालसिंह दतात्रीसिंह जुगलसिंह पि. मदनसिंह सज्जनकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत सा. देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर	बा.1	1.12
5. करणसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर	बा.1	1.12
6. भंवरसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.13 हैक्टेयर	बा.1	0.91
7. ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम जाति जाट सा.देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर	बा.3 0.02 बा.1 0.14	0.10 0.98
8. राजस्थान सरकार	254 मी.	0.11 हैक्टेयर	गै.मु. रास्ता	2.05

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादीया के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा न करें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2018 को केम्प हमीरपुरा में जारी की गई।

Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

19.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार–2018 के तहत आयोजित कैम्प हमीरपुरा में आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण सं. 1 व 2, प्रतिवादी सं. 2, 4, 8 ता 10 स्वयं उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत, हमीरपुरा ने की। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादीगण ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/न्याय/2018/313 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 135 रकबा 1.58 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा सं. 254) वाके ग्राम हमीरपुरा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. सुप्यार कंवर पत्नी रेवन्तसिंह प्रमोद कंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.41 हैक्टेयर
2. कैलाश कंवर पत्नी गोमसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.27 हैक्टेयर
3. कमल कंवर पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.18 हैक्टेयर
4. हनुमानसिंह कुशालसिंह दतात्रीसिंह जुगलसिंह पि. मदनसिंह सज्जनकंवर पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर
5. करणसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर
6. भंवरसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत सा.देह	254 मी.	0.13 हैक्टेयर
7. ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम जाति जाट सा.देह	254 मी.	0.16 हैक्टेयर
8. राजस्थान सरकार	254 मी.	0.11 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण सं. 1 ता 10 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वोह वादीया के हिस्से कब्जे, काश्त की भूमि में दखलअंदाजी पैदा न करें। रहन यथाबत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy - Not Official